

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवचरण मीणा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

109 / 2016
27-09-2016

रामू उर्फ रामा पुत्र प्रताप जाति रैगर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा, टोंक
..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा

..... रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 14.09.2016 मिसल संख्या 55 / 2016

उपस्थित: (1) श्री नंदलाल मीणा, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री सहदेव, तहसीलदार मालपुरा (रेस्पोजेण्ट स्वयं)

निर्णय

दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने उनके आदेश दि० 14.09.2016 द्वारा ग्राम राजपुराबास तहसील मालपुरा के खसरा नम्बर 7185/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि चरागाह पर अनाधिकृत काश्त कर अपीलाण्ट द्वारा सम्मत 2073 में किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल करने व 90 दिवस के सिविल कारावास तथा पेनेल्टी कयम करने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस पर विधि अनुसार अपीलांटस की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को बिना सुने हुये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है और ना ही स्वयं मौका देखा गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलांटस के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि अपने निर्णय में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं दिया गया है कि अपीलांटस को पूर्व में कब, कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से



शिवचरण मीणा
टोंक

भौतिक रूप से बेदखल किया गया। बिना किसी ठोस सबूत पेश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया है। आर आर डी 2001 पेज 401 के अनुसार पूर्व में पारित बेदखली का निर्णय पटवारी के बयानों में प्रदर्शित नहीं हुआ है, जिससे आज्ञापक नियमों के खिलाफ जाकर निर्णय दिया गया है। अपीलांटस का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है। अपीलांटस ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टैकिंग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को दोष मुक्त फरमाया जावे।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलांट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्टस ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 7185/1 रकबा 2.00 बीघा पर मूंग की फसल कस्त कर अतिक्रमण किया था तथा इससे पूर्व वर्ष संवत् 2072 में भी अतिक्रमण किया था तथा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल कर दिया गया था। साक्ष्य के रूप में बेदखलनामा की प्रति व हल्का पटवारी के बयान शामिल पत्रावली हैं जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी राजकीय चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने के लिए है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलांटस की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। अपीलान्टस द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 7185/1 रकबा 2.00 बीघा वाके ग्राम राजपुराबास की भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगाये जाने पर मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.12.2019 हल्का पटवारी पचेवर पत्रावली में संलग्न हैं जिसमें अंकित किया है कि उक्त भूमि पर अपीलांटस का कब्जा था जो बाद में हटा लिया गया है। इस संबंध में पुनः तहसीलदार मालपुरा से भूमि की कब्जे संबंधी वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 420 दिनांक 01.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की हैं जिसमें अंकित किया है कि उक्त भूमि पर अपीलांट ने फसल कस्त कर कब्जा किया हुआ है। भूमि खसरा नम्बर 7185/1 रकबा 2.00 बीघा किसम चरागाह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि हैं। अपीलांट रामा पि. प्रताप रैगर की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2016 के द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा ड्रॉप की जाती हैं तथा शेष बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवरामा मीना)
अति.जिल्हा लेक्टर, टोक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांक: ५१५ / अ०अ० / अति०जि०कले० / २०२३

दिनांक २४/३/२०२३

तहसीलदार
मालपुरा

रामू उर्फ रामा पुत्र प्रताप जाति रैगर निवासी अजीतपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक १४.०९.२०१६ मिसल संख्या ५५ / २०१६

उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक ३०.०१.२०२३ को निर्णय पारित किया जा चुका है। निर्णय प्रति एंव आपकी मूल पत्रावली ५५ / २०१६ निर्णय दिनांक १४.०९.२०१६ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- निर्णय दिनांक ३०.०१.२०२३ न्यायालय हाजा
मूल पत्रावली ५५ / २०१६ किता-१७



आज्ञा स
र
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति०जि०कले०